225

महानिदेशालय कारागार,राजस्थार,जयपुर

क्रमांक:-बं.शा./जयपुर/101/2011/ 65546-80 दिनांक 31.03.2014

समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक
केन्द्रीय/जिला कारागृह, राजस्थान

विषयः- अर्जित परिहार(रेमीशन) का रेकार्ड संधारण

महोदय,

विषयान्तर्गत जेलों के निरीक्षण के दौरान स्थानीय अधिकारियों एवं बंदियों से प्राप्त फीडबेक के अनुसार जेलों में बंदियों को देय परिहार का नियमित रूप से रेकार्ड संधारण नहीं किया जा रहा है। राजस्थान कारागार नियम, 1951 के भाग-3 नियम 12, 14 के अनुसार बंदियों को देय परिहार का रेकार्ड संधारण प्रत्येक तिमाही किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में आपसे इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 58006-40 दिनांक 26.02.2014 द्वारा भी पालना चाही गई थी जो कई जेलों से अभी तक अपेक्षित है।

अतः निर्देश दिये जाते है कि बंदियों द्वारा अर्जित परिहार का रेकार्ड संधारण पूर्ण करने के संबंध में पत्र द्वारा दिनांक 16.04.2014 तक आवश्यक रूप से अवगत करावें एवं भविष्य में इसका नियमित संधारण सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(भूपेन्द्र कुमार दक)
अति.महानिदेशक कारागार
राजस्थान,जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1-अति.मुख्य सचिव, गृह विभाग,राजस्थान,जयपुर
2-महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर
3-उप महानिरीक्षक कारागार, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर
4-विशेषाधिकारी, गृह(जेल)विभाग, राजस्थान, जयपुर

अति.महानिदेशक कारागार
राजस्थान,जयपुर